

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2014 R-1174-1114

- 1 संतोष सिंह पुत्र श्री शंभू सिंह,
  - 2 मंगल सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह
  - 3 गोविंद सिंह पुत्र श्री भैयालाल सिंह
  - 4 बद्री सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
  - 5 रामकरण सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
  - 6 लालमणी पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
  - 7 तीरथ सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
- निवासीगण-ग्राम खुखुड़ा कोठार, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

—आवेदकगण

विरुद्ध

- 1 मोतीलाल सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह
  2. राम सुजान सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह
  - 3 सुदामा सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह
- निवासीगण-ग्राम खुखुड़ा कोठार, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.)
- 4 म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, सतना (म.प्र.)

—अनावेदकगण

अधिकारिता रहित नक्शा तरमीम की कार्यवाही एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 22/07/2012 एवं 24/07/2012 किये गये नक्शा तरमीम के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,


आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा



67

दिनांक 9-4-14 को  
श्री विनोद भार्गव  
आमो द्वारा प्रस्तुत।  
9-4-14  
A-50

  
विनोद भार्गव  
एडवोकेट  
ग्वालियर  
9-4-2014

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1174-दो/2014

जिला सतना

संतोष आदि

विरुद्ध

मोतीलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
05-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक ग्राम खुखड़ा कोठार तहसील रामपुर बघेलालन जिला सतना के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 22-7-2012 एवं 24-7-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 02-5-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>3119</p>	